

आयुक्त राज्य कर
छत्तीसगढ़, रायपुर

आदेश क्रमांक 09/2017-जीएसटी

रायपुर, दिनांक : 15 नवंबर, 2017

विषय : छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 के तहत प्ररूप जीएसटी ट्रॉन-1 में घोषण प्रस्तुत करने की समय-सीमा में वृद्धि।

क्रमांक सीजीएसटी/01/2017 (14) - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, आदेश क्रमांक/सीजीएसटी/01/2017 (12) दिनांक 21 सितंबर, 2017 को अधिक्रमित करते हुए, प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने की अवधि एतद्वारा 27 दिसंबर, 2017 तक बढ़ायी जाती है।



(संगीता पी.)

राज्य कर आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

Commissioner of State Tax

Chhattisgarh, Raipur

Order No. 9/2017-GST

Raipur, 15th November, 2017

Subject: Extension of time limit for submitting the declaration in FORM GST TRAN-1 under rule 117 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Rules, 2017

In exercise of the powers conferred by rule 117 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017, on the recommendations of the Council, and in supersession of No./CGST/01/2017(12) dated 21st September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the period for submitting the declaration in **FORM GST TRAN-1** is hereby extended till 27th December, 2017.



(Sangeetha P.)

**Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur**